दिल्ली विकास प्राधिकरण

पी.एम.–उदय

प्रधानमंत्री–अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना

PM - Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY)

भाग 2 : डीडीए अधिकारियों द्वारा आवेदन जांच एवं निष्पादन की प्रक्रिया

चरण 1 : दि.वि.प्रा. फील्ड सर्वेक्षण	• आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र डीडीए अधिकारी को प्राप्त होने के पश्चात यदि पीएम उदय विनियमों के अंतर्गत पाया जाता है तो आपको एस.एम.एस. द्वारा एक सूचना प्राप्त होगी जो यह दर्शाएगी कि डीडीए सर्वेक्षण टीम सत्यापन के लिए आपके परिसर का दौरा करेगी। कृपया आप अपने दस्तावेजों के साथ तैयार रहें। • आवेदक की संपत्ति का दौरा करने के बाद डीडीए सर्वेक्षण अधिकारी / अधिकारियों द्वारा फील्ड सर्वेक्षण और संबंधित जांच की जाएगी। सर्वेक्षण अधिकारी आपके पड़ोसियों या किसी आर.डब्ल्यू.ए सदस्य, जो संपत्ति पर आपके कब्जे की पुष्टि कर सकता है, के बयान भी लेंगे। • दि.वि.प्रा. फील्ड सर्वेक्षण हेतु दि.वि.प्रा. अधिकारियों को किसी भी प्रकार के प्रभार/शुल्क का भुगतान नहीं करना हैं।

चरण 2 : अपने आवेदन में कमियों को सुधारें	• यदि आपके आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो आपको एक ऑनलाइन डेफिशिएंसी मीमो (डी.एम.) जारी किया जाएगा। • 'डेफिशिएंसी मीमो' के बारे में सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी। • पोर्टल पर लॉग इन करके आप अपने 'डेफिशिएंसी मीमो' में लिखित कमियों को देख सकते हैं। • पोर्टल पर 'डेफिशिएंसी मीमो' भाग पर जायें, और आप अपनी कमियों को देखें। • वहाँ दिए गए स्थान पर 'डेफिशिएंसी मीमो' के संबंध में जवाब ऑनलाइन प्रस्तुत करें। • अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों (यदि कोई हो) को अपलोड करे। • यदि आवेदन–पत्र वापिस लौटाया गया है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और संशोधन करने के बाद पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। • उपरोक्त अनुसार 'डेफिशिएंसी मीमो' का जवाब प्रस्तुत करें।
चरण 3 : अंतिम निर्णय की जांच	• दि.वि.प्रा. के अधिकारी आपके आवेदन–पत्र पर अंतिम निर्णय लेंगे और उसे पोर्टल पर अपडेट करेंगे। • अंतिम निर्णय की सूचना भी एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। • यदि आपका आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है तो पोर्टल पर आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार/शुल्क को दर्शाया जाएगा।
चरण 4 : प्रभारों का भुगतान	• भुगतान लिंक एक्टीवेशन के संबंध में भुगतान संदर्भ संख्या (Payment Reference Numbe) को दर्शाने वाली एक सूचना आवेदन–पत्र की अंतिम संवीक्षा करने के बाद एसएमएस अथवा ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

	• पीएम–उदय पोर्टल को लॉग–ईन करें और "Make Payment" बटन पर क्लिक करें। • सही केस आई.डी. के सामने 'Pay Now ' बटन पर क्लिक करें। • पीएम–उदय के अंतर्गत प्रभार/शुल्क के ऑनलाइन भुगतान को पूरा करने के लिए सही भुगतान संदर्भ संख्या (Payment Reference Number) को दर्ज करें (ऐंटर करें)।
चरण 5 : साक्ष्य संबंधी ब्यौरे	• सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन की सूचना एसएमएस या ई–मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। • पीएम–उदय पोर्टल को लॉग–इन करें और दो साक्षियों के ब्यौरे प्रविष्ट करने के लिए "Witness Details" बटन पर क्लिक करें।
चरण 6 : सी.डी./ए.एस. निष्पादन	• साक्षियों के साथ–साथ मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संबंधित प्रोसेसिंग केंद्र पर जाए। • कन्वेयन्स डीड (सी.डी.) और ऑथॉरिजेशन स्लिप का अंतिम निष्पादन इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा किया जाएगा।
चरण 7 : सी.डी./ए.एस. का पंजीकरण	• कृपया स्टांप पेपर जारी करने और अपेक्षित राशि का ई–स्टांप पेपर खरीदने के लिए किसी प्राधिकृत बैंक में जाएं। • डोरिस एप्लीकेशन का प्रयोग करके उप–रजिस्ट्रार के साथ अपनी मुलाकत का समय लें। • अपने सी.डी./ए.एस. के पंजीकरण के लिए सभी दस्तावेजों सहित उप–रजिस्ट्रार से मिलें।

यदि आपका घर निम्नलिखित में से किसी भी जोन में आता है तो आप PM-UDAY योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

1. कॉलोनी की बाउंड्री के बाहर (आप UC लोकेटर एप पर जाकर पता कर सकते है कि आपका घर बाउंड्री के अंदर है या बाहर)
2. O जोन मे आने वाली भूमि
3. निषिद्ध भूमि अर्थात, आरक्षित अथवा अधिसूचित वनों में आने वाली भूमि
4. प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) द्वारा संरक्षित अथवा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित की गयी भूमि
5. यमुना बाढ़ के मैदानों में आने वाली भूमि
6. मौजूदा सड़को और मुख्य योजना सड़को के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि
7. हाई टेंशन लाइनों के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि
8. दिल्ली के रिज क्षेत्र या जंगलजात में आने वाली भूमि
9. वर्तमान समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत आरक्षित अथवा संरक्षित भूमि

अधिक विवरण के लिए डीडीए की वेबसाइट (https://www.dda.org.in → PM-UDAY CELL) अथवा पीएम–उदय पोर्टल (https://delhi.ncog.gov.in/login) पर जाकर आपके नजदीकी सुविधा केन्द्र या कॉमन सर्विस सेन्टर की सूची प्राप्त करें एवं सम्पर्क करें।

आवेदन जमा करने हेतु नीचे यथा–उल्लिखित आज तक की गई अधिकृत जी.आई.एस. एजेंसियों को भी आप संपर्क कर सकते हैं।	
Neo Geoinfo Technologies Pvt Ltd.	7428988499, 7428988441, 7428997854, 7428997855
Excel Geomatics Pvt. Ltd.	8929987214, 8929987215, 8929987216
XPLORER Consultancy Services (P) Ltd.	9999292799
Sidhu Survey Service	7412070185, 7412070184
Clean Tech Venture AES Pvt. Ltd.	9522210070, 9522210071, 9522210073, 9522210084